**शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध**

संख्या– 602/आठ–5–23–971/2021

प्रेषक,

**राकेश कुमार मिश्र,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

**आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5** **लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2023**

विषयः– अभियन्त्रण संवर्ग के समस्त कार्मिकों का सेवा विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन अभियन्त्रण संवर्ग के समस्त कार्मिकों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना है, जिसके दृष्टिगत कार्मिकों के सेवा विवरण की आवश्यकता है।

**2**– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्त्रण संवर्ग के समस्त कार्मिकों का पदवार सेवा विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 की ई–मेल आई.डी. awasanubhag5@gmail.com पर M.S Word format में एवं हार्ड कापी में शासन को 03 कार्य दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

| क्र0 | नाम/पिता का नाम/गृह जनपद/जन्म तिथि | पदनाम/संवर्ग (सिविल या वि0/यॉ0) | सेवा में आमेलन/विनियमितीकरण की तिथि | दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा के रूप में दी गयी सेवाओं को जोड़ते हुए पूर्व तैनाती के प्राधिकरण का तिथिवार विवरण | प्राधिकरणों में सेवाकाल (कुल अवधि) | वर्तमान तैनाती का प्राधिकरण/तैनाती की तिथि (सेवा अवधि दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**नोट :–** उदाहरणार्थ 'क' अभियन्ता यदि वर्तमान में अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत है। सेवा विवरण के अनुसार यदि उक्त अभियन्ता 01.04.1982 से 01.07.1987 तक दैनिक वेतनभोगी कार्मिक के रूप में गाजियाबाद विकास प्राधिरण में, दिनांक 02.07.1987 से 01.08.1992 तक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में, दिनांक 02.08.1992 से 01.07.1997 तक लखनऊ विकास प्राधिकरण में, दिनांक 02.07.1997 से 01.11.2004 तक कानपुर विकास प्राधिकरण में, दिनांक 02.11.2004 से 01.08.2011 तक पुनः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में, दिनांक 02.08.2011 से 01.02.2017 तक बरेली विकास प्राधिकरण में तथा दिनांक 02.02.2017 से वर्तमान तक आगरा विकास प्राधिकरण में तैनात रहा है, तो उसका सेवा विवरण निर्धारित प्रारूप पर निम्नवत भरा जायेगाः–

| क्र0 | नाम/पिता का नाम/गृह जनपद/जन्म तिथि | पदनाम/संवर्ग (सिविल या वि0/यॉ0) | सेवा में आमेलन/विनियमितीकरण/मौलिक नियुक्ति की तिथि | दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज/संविदा के रूप में दी गयी सेवाओं को जोड़ते हुए पूर्व तैनाती के प्राधिकरण का तिथिवार विवरण | प्राधिकरणों में सेवाकाल (कुल अवधि) | वर्तमान तैनाती का प्राधिकरण/तैनाती की तिथि (सेवा अवधि दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | क | अवर अभियन्ता (सिविल) | | गाजियाबाद–01.04.1982 से 01.07.1987 तक (दैनिक वेतनभोगी कार्मिक के रूप मे)<br>मुरादाबाद–02.07.1987 से 01.08.1992 तक<br>लखनऊ–02.08.1992 से 01.07.1997 तक<br>कानपुर–02.07.1997 से 01.11.2004 तक<br>गाजियाबाद–02.11.2004 से 01.08.2011 तक<br>बरेली–02.08.2011 से 01.02.2017 तक | गाजियाबाद–12 वर्ष<br>मुरादाबाद–05 वर्ष 01 माह<br>लखनऊ–04 वर्ष 11 माह<br>कानपुर–07 वर्ष 04 माह<br>बरेली–05 वर्ष 06 माह | आगरा 02.02.2017 से वर्तमान तक (06 वर्ष 02 माह) | |

**3–** उपर्युक्त सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उपलब्ध करायी जा रही सूचना त्रुटिरहित है एवं प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में कार्यरत समस्त अभियन्तागण का नाम इसमें सम्मिलित है एवं किसी भी अभियन्ता का विवरण सम्मिलित किये जाने हेतु शेष नहीं है। यदि किसी अभियन्ता का नाम उपलब्ध करायी गयी सूचना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इस हेतु उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उत्तरदायी होंगे।

**4–** उक्त सेवा विवरण में वर्तमान तैनाती के प्राधिकरण में सेवा अवधि के निर्धारण हेतु कट–आफ–डेट 31 मार्च, 2023 माना जायेगा।

भवदीय,

23/3/23

**(राकेश कुमार मिश्र)**
विशेष सचिव।